

आवेदक सिंह/ राजेश सिकेत
R-4146-II/15 सीपी
R. 5146-2 के 115 सीपी

- 20-1-16. 1- प्रकाश प्रस्तुत!
- 2 - आवेदक को ओ से जी सत्य प्रिय उपाध्याय एड उपा.
- 3 - लपटाभाव के कारण पुनर्परीक्षा नहीं की जा रही!
- 4- वाले कायसी पर लंबा

71

वेणी लागू 21-4-16

आज्ञा से
[Signature]

21-4-16

- 1. आवेदक अभिजातक उपरिष्कारत. [Signature]
- 2. भारतीय सभ्य मही० का रीवा आगमन नहीं हो सका
- 3. वाले कायसी पर लंबा

57

वेणी लागू 12-5-16

आज्ञा से
[Signature]

राजस्थान मण्डली म० प्र० मंडल
सर्किट कोर्ट रीवा

12-5-16

आवेदक को 11:00 बजे प्रकाश लगाई गई किन्तु आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्रकारण पुनः 12:00 बजे लंबा जाय।

12:00 AM

आवेदक को प्रकाश लगाई गई किन्तु आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्रकारण पुनः 2:00 बजे लंबा जाय।

2:00 PM

आवेदक को पुनः प्रकाश लगाई गई किन्तु आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्रकारण पुनः 4:00 बजे लंबा जाय।

4:00 PM

- 1. आवेदक को पुनः प्रकाश लगाई गई किन्तु आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण सीटिंग की धारा-35(2) के अन्तर्गत खोली जायेगी किन्तु प्रमाण है।
- 2. प्रकरण दायर पंजी से लंबा जाय।

W